

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा अलवर राज.

-::कार्यालय आदेश::-

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक जिशिअ/प्राशि/अल/फा-मान्यता/2013-14/4842-4854 दिनांक 12.08.2013 के द्वारा लार्ड कृष्णा इन्टरनेशनल स्कूल, हरसौली कोटकासिम अलवर को उच्च प्राथमिक स्तर व अंग्रेजी माध्यम की मान्यता प्रदान की गई थी। संस्था द्वारा सत्र 2015-16 में विद्यालय के नाम परिवर्तन हेतु इस कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है एवं निर्धारित नाम परिवर्तन शब्द डाफ्ट गशि दम कार्यालय में जमा कराई गई है।

अतः द्वारा लार्ड कृष्णा इन्टरनेशनल स्कूल, हरसौली कोटकासिम अलवर का नाम दी लार्ड कृष्णा स्कूल हरसौली कोटकासिम करने की स्वीकृति एतत् द्वारा प्रदान की जाती है।

शेष मान्यता की शर्तें यथावत रहेगी।

क्रमांक:-जिशिअ/प्राशि/अल/संस्था-4/फा-स्थान परिवर्तन/15-16/ 15

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

1. निदेशक प्रा.शि. राजस्थान बीकानेर।
2. उपनिदेशक प्रा.शि. जयपुर संभाग जयपुर।
3. संबंधित ब्लॉक प्रा.शि. अधिकारी।
- ✓ 4. संबंधित संस्था दी लार्ड कृष्णा स्कूल हरसौली, कोटकासिम अलवर।
5. कार्यालय पत्रावली।

— S.L. —  
जिला शिक्षा अधिकारी,  
प्रारम्भिक शिक्षा, अलवर  
दिनांक:- 17/4/15

— Raj —

— The Manager —  
जिला शिक्षा अधिकारी,  
प्रारम्भिक शिक्षा, अलवर

— M.L. —  
Principal  
The Lord Krishna School  
Harsauli (Alwar) Raj

— J.S. —  
Headmaster  
The Lord Krishna School  
Harsauli (Alwar) Raj.

— The Manager —  
MANAGER  
The Lord Krishna School  
Harsauli, Alwar (Raj.)

राजस्थान सरकार



सत्यमेव जयते

## रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक .....143..... /अलवर/.....11-12.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि ~~दीर्घाई कृष्णा शिक्षा संस्थान~~


~~हरसौली~~ जिला ~~अलवर~~ का

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 ( राजस्थान अधिनियम नं. 28, 1958 ) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरी और कार्यालय की सील से आज

दिनांक ~~चौबीस~~ माह ~~अगस्त~~ सन् दो हजार ~~ग्यारह~~

को अलवर में दिया गया।

  
रजिस्ट्रार, संस्थायें  
अलवर।